न्यायालय–विवेक कुमार चंदेल, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म0प्र0)

जमानत आवेदन पत्र कं0 –2704/2026
सी.एन.आर.नं. एमपी 0901–05568–2026
फाईलिंग नं. बी.ए/47531/2026
अपराध क. 444/2026

कन्हैयालाल पिता प्रेमचन्द लोहार,
आयु–40 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार,
निवासी–12 दुकान चौराहा, राधेश्याम मंदिर की गली
भवानी मंडी, जिला झालावाड़ (राजस्थान),
वर्तमान निवासी–हाउसिंग बोर्ड मल्टी, ई–3, सुखलिया
एम.आर.–10, इन्दौर (म.प्र.) **...आवेदक/अभियुक्त**

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र हीरानगर,
इन्दौर, जिला इंदौर (म.प्र.) **..... अनावेदक/राज्य**

23.07.2026

यह जमानत पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के अवकाश पर होने से श्रीमान् विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (अत्या.नि. अधि.) इन्दौर के न्यायालय से अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. 2023 मय केस डायरी प्रतिवेदन के निराकरण हेतु अंतरित होकर प्राप्त हुआ।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह परमार उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री सुरेन्द्र सिंह वास्केल उपस्थित।

यह जमानत पत्रावली पुलिस आरक्षी केन्द्र हीरानगर, इन्दौर, जिला इन्दौर के अपराध क. 444/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस. के संबंध में है।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के एम.सी.आर.सी. क. 8277/2023 (दीपक यादव विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.) में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के पालन में विवरण :–

क.	**विवरण**	**जानकारी**
01.	प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक	0444/2026
02.	प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	08.05.2026

03.	आरक्षी केन्द्र	हीरानगर, इन्दौर
04.	अपराध की विशिष्टयां	303(2) भारतीय न्याय संहिता
05.	गिरफ्तारी/समर्पण दिनांक	02.07.2026
06.	अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	निल
07.	आपराधिक रिकार्ड	आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इस पंजीबद्ध अपराध के अतिरिक्त 07 अन्य अपराध विभिन्न थानों में पंजीबद्ध हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के **SLP (Crl.) No. 1400/2025** मुन्नेश विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 के दिशा–निर्देश अनुसार आवेदक/अभियुक्त का विवरण निम्नानुसार है–

क.	**अपराध नम्बर**	**धारा**	**पुलिस स्टेशन**	**जिला**	**स्थिति**
					लंबित/दोषसिद्ध/दोषमुक्त
01.	324/26	303 (2) बी.एन.एस.	हीरानगर	इन्दौर	जानकारी संलग्न नहीं।
02.	435/26	303 (2) बी.एन.एस.	हीरानगर	इन्दौर	जानकारी संलग्न नहीं।
03.	510/2026	303 (2) बी.एन.एस.	हीरानगर	इन्दौर	जानकारी संलग्न नहीं।
04.	267/2017	धारा 279, 379, 356 भा. द.वि.	भवानीमंडी	झालावाड़, राजस्थान	जानकारी संलग्न नहीं।
05.	79/2018	411, 420, 467 भा.द.वि.	बड़ौद	आगर मालवा	जानकारी संलग्न नहीं।
06.	24/2026	303 (2) बी.एन.एस.	संयोगितागंज	इन्दौर	जानकारी संलग्न नहीं।
07.	279/2026	303 (2), 342 बी.एन.एस.	तुकोगंज	इन्दौर	जानकारी संलग्न नहीं।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रथम नियमित जमानत आवेदन होना बताया गया है। आरोपी की ओर से **उसकी बहन सोनल मालवीय पति स्व. श्री सतीश कुमार मालवीय** का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह आवेदक/अभियुक्त की बहन है। यह धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत् प्रथम जमानत आवेदन पत्र है एवं अन्य किसी सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में जमानत पत्र विचाराधीन नहीं है और न ही निराकृत हुआ है।

विचारण न्यायालय से रिमाण्ड पत्रावली अवलोकन हेतु प्राप्त हुई।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र में संक्षेप में यह निवेदन किया गया है कि अनावेदक पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 19.06.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, इन्दौर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुलिस द्वारा उसे असत्य आधारों पर गिरफ्तार कर किया गया है एवं उसका सदर घटना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। कथित घटना से उसका किसी प्रकार का लेन–देना नहीं है। उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की गई है, न ही उससे किसी प्रकार की जब्ती की गई है। उसे सदर प्रकरण में असत्य रूप से संलिप्त किया गया है तथा असत्य आधारों पर उससे वाहन जब्त होने का वर्णन किया गया है। वह हाई ब्लड प्रेशर व दमे की गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर उपचाररत अवस्था में है तथा पी.आर. अवधि में उसका स्वास्थ्य अत्यंत खराब था, वह एम.वाय. अस्पताल में भर्ती होकर उपचाररत है। वह 40 वर्षीय व्यक्ति होकर सब्जी बेचकर अपने व अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। वह लगभग 14 दिनों से आकरण न्यायिक अभिरक्षा में है। वह गरीब परिवार का सदस्य होकर झालावाड़, राजस्थान का स्थायी निवासी है। उसकी चल–अचल सम्पत्ति उक्त शहर में स्थित होने से उसके कही भागने या फरार होने या अभियोजन साक्ष्य बिगाड़े जाने की संभावना नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। वह न्यायालय के समस्त आदेशों एवं शर्तों का पूर्णरूपेण परिपालन करने हेतु तत्पर है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसे जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

उपस्थित ए0डी0पी0ओ0 की ओर से जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन इस आधार पर किया गया है, कि वर्तमान में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। थाना प्रभारी की ओर से भी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

जमानत आवेदन के संबंध में उभयपक्ष को सुना गया।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2026 को फरियादी आकाश दशोरिया पिता मेहरबान दशोरिया द्वारा इस आशय की मौखिक रिपोर्ट पुलिस थाना हीरानगर पर लेखबद्ध करायी गई कि वह सेवाकुंज अस्पताल में काम करता है। दिनांक 06.05.2026 को वह अपनी स्टेण्डर्ड बुलेट मोटरसाइकिल क्र. एम.पी. 09 एक्स 7047 मॉडल 2020 को लेकर शादी समारोह में शामिल होन के लिये के–2 गार्डन एम. आर.–10 चौराहा के पास आया हुआ था, रात्रि करीब 09:00 बजे उसने अपनी उक्त बुलेट मोटरसाइकिल को गार्डन की पार्किंग में खड़ी कर दी और गार्डन के अंदर शादी में शामिल होने चला गया। रात्रि करीब 11:00 बजे जब वह गार्डन से बाहर आया तो उसे उसकी उक्त बुलेट मोटरसाइकिल खड़े किए स्थान पर नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बुलेट मोटरसाइकिल को खड़े किए स्थान से चोरी कर ले गया है। उसने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल क्र. एम.पी. 09 एक्स 7047 की तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला है।

फरियादी की उक्त रिपोर्ट अपराध क्र. 0444/2026 अंतर्गत धारा 303 (2) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान थाना तुकोगंज से जरिये मोबाइल सूचना प्राप्त हुई कि थाना हीरानगर अपराधों में वाहन जब्त किये गये हैं, जिस पर से थाना तुकोगंज पहुंचने पर तहरीर लेख की गई तथा मालखाना प्रभारी को सदर अपराध में जब्त मो.सा. के संबंध में पूछताछ करने पर उक्त वाहन प्र.आर. 2028 विजेन्द्र पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा सिसि. 05/26 धारा 35 (1) (ड), 106 बी.एन.एस. 303(2) बी.एन.एस. में जब्त करना बताया। बाद प्र.आर. विजेन्द्र के द्वारा आरोपी कन्हैयालाल पिता प्रेमचन्द लुहार से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम तैयार किया गया तथा बाद गिरफ्तार कर उसे न्यायालय के समक्ष पी.आर. हेतु पेश किया गया। सिसि. 05/26 धारा 35(1)(ड), 106 बी.एन.एस. 303(2) बी.एन.एस. व तुकोगंज थाना के अपराध क्र. 273/26 धारा 303 (2) बी.एन.एस. के प्रपत्र की छायाप्रति प्राप्त की गई तथा पहचान मो.सा. का इंजन व चेचिस नं. का मिलान कर सदर अपराध में चोरी होने की पुष्टि की गई तथा फरियादी आकाश दशोरिया पिता मेहरबान दशोरिया को जरिये मोबाइल सूचना दी गई जिसके द्वारा अपनी मोटरसाइकिल की पहचान की। बाद मालखाना प्रभारी से फार्मल जब्ती पंचानों के समक्ष की गई तथा अपराध क्र. 324/26 धारा 303 (2) बी.एन.एस. में स्टेण्डर्ड बुलेट मोटरसाइकिल क्र. एम.पी. 09 एक्स 7047 मॉडल 2020 की जब्ती की गई। बाद आरोपी कन्हैयालाल से पूछताछ की गई तथा उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया तथा उसे विधिवत पंचानों के समक्ष फार्मल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दी गई। बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से आक्षेपित अपराध अनुसार अभियुक्त के द्वारा वाहन की चोरी किया जाना बताया गया है। मामले में अभी अनुसंधान शेष है। आरक्षी केन्द्र के प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध समान प्रकृति के 08 अपराध पंजीबद्ध हैं जिससे आवेदक/अभियुक्त समान प्रकृति के अपराध करने का आदी होना दर्शित है। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति का लाभ दिये जाने पर समान प्रकृति का अपराध पुनः किये जाने की संभावनायें विद्यमान हैं, तब ऐसी स्थिति में अपूर्ण अनुसंधान तथा अपराध की पुनरावृत्ति की आशंका विद्यमान होने से प्रतिभूति का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः **आवेदक/अभियुक्त कन्हैयालाल पिता प्रेमचन्द** की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित रिमाण्ड पत्रावली संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आदेश की एक प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर केस डायरी आरक्षी केन्द्र हीरानगर, इन्दौर, जिला इंदौर को वापस भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर जमानत अभिलेख, अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
(विवेक कुमार चंदेल)
नवम् अपर सत्र न्यायाधीश
जिला इंदौर